मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 8 / 4 / 2001 / आप्र / एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03 / 07 / 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगो के लिए द्वितीय, तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण।

संदर्भः— इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 30 जून 2001

—00—

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए सीधी भरती से भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एंव चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार दिया गया थाः—

1. दृष्टिबाधित 2 प्रतिशत
2. श्रवणबाधित 2 प्रतिशत
3. अस्थिबाधित 2 प्रतिशत

2. भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में उल्लेखित दिव्यांगताओं को पॉच श्रेणियों में आरक्षण के लिये विभाजित किया गया हैः—

(क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।
(ख) बहरे और कम सुनने वाले।
(ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी।
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी।
(ङ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता।

3. अतः दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया जाता है:-

1. दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	1.5 प्रतिशत
2. बहरे और कम सुनने वाले,	1.5 प्रतिशत
3. लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	1.5 प्रतिशत
4. ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	1.5 प्रतिशत

4. प्रायः देखने में आया है कि जिन दिव्यांजनों की निःशक्तता का प्रतिशत कम है उन्हें शासकीय सेवा में आरक्षण (नियुक्ति) दिया जा रहा है। जिन दिव्यांगजनों की निःशक्तता का प्रतिशत अधिक है उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यह कार्यवाही दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 में उल्लेखित प्रवधान की मंशा के विपरीत है। अतः जिन दिव्यांगजनों की निःशक्तता अधिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

5. उक्त आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।

5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भोपाल।
7. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
8. सचिव लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर/ ग्वालियर/ जबलपुर।
12. महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल।
13. आयुक्त, उद्योग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. आयुक्त, सामाजिक न्याय 1250, तुलसी नगर भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
17. आयुक्त, निःशक्तजन, कम्युनिटि हॉल, न्यू मॉर्केट, टी.टी. नगर, भोपाल।
18. उप संचालक, विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर।
19. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, म.प्र.।
20. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
21. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्ष मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
22. अवर सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय भोपाल।
23. वेबसाईट प्रभारी।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग